

भोपाल, दिनांक 31/12/16


//आदेश//

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 परिपत्र क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को (तृतीय उच्चतर वेतनमान) में वेतन बैंड रु. 9300-34800 +ग्रेड पे रु. 4200/-के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके के नाम के समक्ष दशायि अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है -

स.क्र	कर्मचारी का नाम व पदनाम सहायक मानचित्रकार	विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्री एस.के.हेगड़े	06.12.83	01.07.2014
02	श्री सुल्तान अहमद	10.11.84	10.11.2014
03	श्री कमलेश पाटीदार	12.10.84	12.10.2014
04	श्री एम.यू.शेख	16.01.84	01.07.2014
05	श्री राधेश्याम वैष्णव	20.01.86	20.01.2016

सामान्य शर्तें-

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।


30-12-16

(एम.जी.चौबे)

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल दिनांक 31 - 12/2016


पृ. क्रमांक 3323.269/02/12
प्रतिलिपि:-

3371

- 1 मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार जल संसाधन विभाग इन्दौर।
- 2 अधीक्षण यंत्री,
- 3 कार्यपालन यंत्री
- 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- 5 संबंधित श्री सहायक मानचित्रकार द्वारा स.क्र.01
- 6 बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट स.क्र.1.2.3 के लिये-

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जांच संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।


अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता

15